कार्यालय, प्रधानाचार्य एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
पं. खुशीलाल शर्मा, शासकीय (स्वशासी) आयुर्वेद महाविद्यालय एवं संस्थान,
(साइन्स हिल्स, मैनिट के पीछे, कोलार–नेहरू नगर रोड, भोपाल 462 003)
Website: - www.klsgaci.edu.in
e - mail: - Principal@Klsgaci.edu.in
दूरभाष क्रं. – 0755 – 2970310

क्रमांक / 2018 / स्था.कक्ष / 9403

भोपाल, दिनांक: 29/12/2018

/ / नियम एवं शर्ते / /

भारत सरकार आयुष विभाग के आयुष फार्मेकोविजिलेंस प्रोग्राम के तहत अंशकालिक आधार पर प्रोग्राम असिस्टेंट की सेवाओं के अनुबंध हेतु।

1. शैक्षणिक योग्यताः– (अ) विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय तथा सी.सी.आई.एम. नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त बी.ए.एम.एस डिग्री एवं संबंधित बोर्ड में पंजिकृत।
(ब) कम्प्यूटर एम.एस. आफिस का ज्ञान।
(स) भारत सरकार स्वास्थय / आयुष मंत्रालय के अंतर्गत संचालित परियोजना में कार्यानुभव को वरीयता।

2. परियोजना दिशा निर्देशों के अनुसार संबंधित को प्रति माह रूपये 25000 / – निश्चित राशि देय होगी।

3. परियोजना समाप्ति के पश्चात कार्यकाल स्वमेव समाप्त हो जावेगा जिसकी सूचना पृथक से नहीं दी जावेगी।

4. कार्यालय में प्रतिदिन उपस्थित होकर परियोजना प्रभारी द्वारा सौपे गये कार्य को संपादित करना होगा साथ ही अवकाश के दिनों में आवश्यकता होने पर उपस्थित होना होगा, जिसका पृथक से भुगतान देय नहीं होगा।

5. अनुबंधित व्यक्ति को संस्थान के पूर्व अनुमति के बिना सपादित किये गये कार्यो की जानकारी तृतीय पक्ष को हस्तांरित, प्रकाशित एवं उपयोग करने का अधिकार नहीं होगा। कार्य प्रारंभ करते समय इस आशय का वचन पत्र प्रस्तुत करना होगा।

6. संबंधित को त्याग पत्र देने की स्थिति में तथा परियोजना के समाप्त होने के पश्चात सभी दस्तावेजों को संस्थान में जमा कराना अनिवार्य होगा।

7. यह सेवाएं पूर्णतः अंशकालिक अनुबंध मात्र है। अतः भविष्य में नियमितिकरण से संबंधित कोई भी दावा (क्लेम) मान्य नहीं होगा।

8. संबंधित व्यक्ति किसी भी हैसियत से संस्थान स्थापना के अंतर्गत नहीं माने जायेंगे ओर वह लोक सेवक की विधिविहित परिभाषा के अंतर्गत लोक सेवक नहीं माने जायेंगे।

9. अनुबंधित उम्मीदवार को आमंत्रण के पूर्व इस आशय का शपथ–पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उसके विरूद्ध पुलिस / न्यायालय में कोई आपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं हैं, साथ ही वह किसी अन्य शासकीय / अर्द्धशासकीय सेवा में कार्यरत नहीं है।

10. परियोजना प्रभारी के माध्यम से उपस्थिति सत्यापित होने के पश्चात ही मानदेय का भुगतान अगले माह में किया जायेगा।

11. अनुबंधित व्यक्ति किसी भी स्थिति में किसी गैरकानूनी अथवा राजनीतिक गतिविधियों में भाग नहीं लेगा।

12. बिना किसी पूर्व सूचना के निरन्तर 06 दिवस अनुपस्थित रहने पर अनुबंध समाप्त कर दिया जायेगा। जिसकी कोई पूर्व सूचना पृथक से नहीं दी जायेगी।

13. किसी भी विवाद की स्थिति में प्रधानाचार्य एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी .खुशीलाल शर्मा शास. (स्वशासी) आयुर्वेद महाविद्यालय एवं संस्थान, भोपाल का निर्णय अन्तिम एवं बंधनकारी होगा।

14. चयन हेतु नियमानुसार अंको के इन्डेक्स तैयार कर मेरिट सूची तैयार की जावेगी।
(1) बी.ए.एम.एस उपाधि – 90 अंक
(2) कम्प्यूटर एम.एस आफिस कार्य से संबंधित मान्य अर्हता – 05 अंक
(3) भारत सरकार स्वास्थय/आयुष मंत्रालय की परियोजना में कार्य करने का अनुभव (न्यूनतम 06 माह) प्रत्येक – 05 अंक वर्ष के लिए 02 अंक (अधिकतम 05 अंक)

(डॉ. उमेश शुक्ला)
प्रधानाचार्य एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी